न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 141/2016
जीसीएमएस न0 2016/00722

1. मु० रम्भाबाई पत्नी स्व० पक्काराम मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तह० निम्बाहेडा राज०

प्रार्थिया

बनाम

1. ललित पिता प्रहलाद गेहलोद निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
2. रमेशचन्द्र पिता चुन्नीलाल प्रजापत उम्र वयस्क नि० निम्बाहेडा राज०
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अनिल पाटीदार – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक 25.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया की प्रार्थिया की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम फाचरअहीरान प०ह० फाचर अहीरान तह० निम्बाहेड़ा में वर्तमान खाता सं0 226 की आराजी नं0 1095 रकबा 0.5100 हेक्टर लगानी 9.69 रूपये स्थित हैं। उक्त आराजी के पुराने सेटलमेन्ट अनुसार पुराने आराजी नं0 703/774 थे। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं। प्रार्थिया की उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में विपक्षी सं० 1 व 2 की नवीन आ0नं0 1122 रकबा 0.5100 हेक्टर लगी हुई स्थित हैं, जिसके पुराने आ०नं0 703 हैं।

2. उक्त दोनो ही आराजीयात राजस्व नक्शे में एक साथ जुडी हुई दर्शित चली आ रही है, तथा पुराने राजस्व नक्शे में विपक्षी की पुरानी आ०नं0 703 जिसकी उत्तरी भुजा पश्चिम से पूर्व तीरछी थी यानि उक्त भुजा पूर्व दिशा में बढती हुई तीरछी थी इसलिये नवीन नक्शे में भी उक्त उत्तरी भुजा तिरछी ही होनी चाहिये थी, लेकिन राजस्व कर्मीयो ने विपक्षीगण से मिलीभगत कर उक्त आ०नं० 703 नवीन नं0 1122 की उत्तरी भुजा को प्रार्थी की आराजी नं० पुराना 703/774 नवीन नं0 1095 की दक्षिणी भुजा को दबाते हुए नक्शे में विपक्षीगण की आराजी की उत्तरी भुजा पश्चिम से पूर्व समान्तर दिशा में नक्शे में अंकित कर दी तथा प्रार्थी की आराजी की उत्तरी भुजा जो नक्शे में अन्य आ०नं० 1092 की तरफ बढ़ा दी। जबकि प्रार्थी एवं विपक्षीगण पुराने नक्शे में अंकित आराजी की सीमाओ के अनुरूप काबिज चले आ रहे है एवं मेडपालिये आदि उसी अनुसार कायम चली आ रही हैं। लेकिन सेटलमेन्ट कमेटी के अधिकारीयो ने नक्शे में फेरवदल कर प्रार्थी की आराजी की सीमा को पूर्ववत नवीन नक्शे में कायम नहीं की और विपक्षीगण को फायदा पहुँचाने की नियत से प्रार्थी की आराजी की दक्षिणी मेड को विपक्षीगण की आराजी में मिलाते हुए नक्शे में अंकित कर दिया जिसे नजरी नक्शे में

लाल रंग से दर्शाया गया हैं ओर प्रार्थी की आराजी को उत्तर दिशा में आ0नं0 1072 में बढा कर दर्शा दिया गया जिसे नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया हैं।

3. प्रार्थी को उक्त राजस्व नक्शे में प्रार्थी की आराजी उत्तरी व दक्षिण मेड को गलत दर्शाने व विपक्षी की आराजी की उत्तरी मेड को प्रार्थी की आराजी में शामिल कर गलत दर्शाने के संबंध में जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा अभी हाल ही में दिनांक 02.05.2016 को विपक्षीगण ने मौके पर प्रार्थी की दक्षिणी मेड पर कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थी ने राजस्व नक्शो की नकले ली तब इसगलती के बारे में जानकारी हुई और यह आवेदन पेश किया जा रहा हैं।

4. सेटलमेन्ट कमेटी के अधिकारीयो को राजस्व नक्शे में छेडछाड या आराजी की स्थिति में परिवर्तन करने का कोई अधिकोर नहीं था, केवल मात्र पुरानी आराजी नम्बर के स्थान पर नवीन आराजी नम्बर का ही अंकन राजस्व नक्शे में करना था, परन्तु सेटलमेन्ट कमेटी व राजस्व कर्मचारीयो ने अपने अधिकारो से परे जाकर राजस्व नक्शे में आराजी की सीमाओ में फेरबदल परिवर्तन करते हुए नवीन नक्शे में अंकित कर दिया है जो गलत होने से प्रार्थी अपनी आराजी की उत्तरी व दक्षिण मेड को पुराने राजस्व नक्शे में अंकित अनुसार ही नवीन आराजी का अंकन करते हुए उत्तरी व दक्षिणी मेड को नक्शें में पूर्वानुसार आराजी की स्थिति तरमीम कराने का अधिकारी है एवं विपक्षी की आ०नं० पुराना 703 नवीन 1122 की उत्तरी मेड को पूर्वानुसार तीरछी नक्शे में दर्ज करा नक्शे में तरमीम कराने का अधिकारी हैं।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार सेठिया ने वकालतनाम पेश किया । विपक्षी के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के खातेदारी की आराजी नं0 1095 तादादी 0.5100हे० ग्राम फाचर अहीरान में स्थित हैं। दरख्वास्त की चरण सख्या 2 सम्पूर्ण रुप से स्वीकार है, आराजी नं0 1095 के दक्षिण की ओर आराजी नं0 1122 विपक्षीगणो के शामलाती खातेदारी की सौजा फाचर अहीरान में स्थित है जिसका रकबा 0.5100हे0 हैं। प्रार्थिया ने विपक्षीगणो की आराजी नं0 1122 जिसके पूराने नं0 703 है उसके उत्तरी ओर प्रार्थिया ने नाजाईज कब्जा कर रखा हैं जिसका वाद धारा 183 राज० का०अधि० एस०डी०ओ० कोर्ट निम्बाहेडा मे जेरकार था जो कि पूर्व खातेदार वादीया श्रीमति गुलाबी आदि के पक्ष में उक्त वाद 1990 से अदालत हाजा मे जेरकार था जो राजस्व मंडल से रिमान्ड होने के बाद पूनः अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर्ड हुआ, जिसका नं0 329ए/2013 होकर वादीया श्रीमति गुलाबी के पक्ष में तथा प्रतिवादीया श्रीमति रम्भा बाई आदि के विरुद्ध दिनांक 03/03/2015 को डिकी हुआ, जिसकी अपील श्रीमति रम्भाबाई ने राजस्व अपील अधिकारी महोदय चित्तौडगढ में कर रखी है जो जेरकार है जिसमें आगामी पेशी 16/06/2017 की हैं। प्रार्थिया रम्भाबाई ने एक आधारहीन वाद धारा 88, 53, 188 एवं धारा 209 राज०का०अधि० के तहत विपक्षीगण एवं श्री रामेश्वर आदि के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे प्र०सं० 193/15 ई०रे० तथा मुत्त०रे० में आवेदन तहत धारा 212 राज०का०अधि० प्र०सं० 3957/ 15 मुत्त०रे० पेश कर रखा हैं, जो माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें राजस्व अभियान से पूर्व दिनांक 09/05/2017 की पेशी नियत थी। कमीशनर, पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24/05/2016 को किये गये स्थल निरिक्षण मे भी आराजी नं0 1122 के उत्तरी ओर 100 मीटर X 40 मीटर पर अवैध कब्जा प्रार्थिया

रम्भाबाई का पाया गया, प्रार्थीयारम्भाबाई आराजी नं0 1122 के भूभाग को अवैध रुप से अपनी बताकर आराजी नं0 1095 का भाग बता रही है जबकि आराजी नं0 1095 की तहती आराजी रकबा 0.5100 हे० प्रार्थिया के कब्जे में है प्रार्थिया रेकार्ड में अंकित 0.5100 हे० खातेदारी से अधिक भूमि को अपनी बताकर राजस्व रेकार्ड में राजस्व रेकार्ड के नक्षे में संशोधन कराने की कोई प्रात्रता नही रखती है जबकि नक्षा सेटलमेन्ट मे किसी प्रकार से कोई खामी नही हैं इसके इन्द्राज को प्रार्थिया दुरुस्त करावें, प्रार्थिया नक्षे में एवं राजस्व रेकार्ड कोई दुरुस्ती संशोधन के माध्यन से कराने की कतई अधिकारीणी नही हैं, प्रार्थिया की आराजी नं0 1095 का कोई भी भाग राजस्व रेकार्ड नक्षे में आराजी नं0 1122 मे मिला हुआ दर्शित नही हैं। इसलिए आवेदन पत्र प्रार्थिया आधारहीन असत्य होने से निरस्त होने योग्य हैं। नितांत असत्य एवं आधारहीन होने से कतई स्वीकार नही हैं विपक्षीगणनों ने आराजी नं0 1095 के किसी भाग पर कोई कब्जा नही किया न कब्जा करने का प्रयास किया बल्कि अवैध कब्जा तो प्रार्थिया रम्भाबाई ने कर रखा है जिसकी अपील एवं वाद सक्षम न्यायालय में जेरकार हैं, तथा विपक्षीगणो ने विपक्षीगणो के आराजी नं0 1122 का रकबा 0.5100हे0 है वही नक्षे में दर्शित है आवेदन पत्र प्रार्थिया रम्भाबाई असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त होने योग्य हैं।

6. विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की और निवेदन किया की प्रार्थिया रम्भाबाई जो अभी वर्तमान में पाली जिले में निवासरत होना बताया। प्रार्थिया को मोबाईल पर इस संबंध में जानकारी दी गई तो इस प्रकरण के संबंध में इनके द्वारा प्रकरण जानकारी में नही होना बताया। प्रार्थिया के नाम ग्राम फाचर अहिरान में आराजी नं0 1095 रकबा 0.51 है0 भूमि नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा सेटलमेंन्ट से पूर्व आराजी नं0 777/703 रकबा 2 बीघा भूमि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। प्रार्थिया का वर्तमान में आराजी नं0 1095 रकबा 0.51 है0 पर कब्जा होना बताया गया। अभी वर्तमान में आराजी नं0 1095 का नवीन नक्शा एवं सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे में की गई तरमीम का अवलोकन किया गया जिसमें तरमीम गलत होना नहीं पाया गया। प्रार्थिया का कब्जे में आराजी नं0 1095 पर होना तथा तरमीम संबंधी दोनों नक्शों का मिलान करने से तरमीम गलत नहीं होने से प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य हैं प्रार्थिया का कब्जे में आराजी नं0 1095 पर होना तथा तरमीम संबंधी दोनों नक्शों का मिलान करने से तरमीम गलत नहीं होने से प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की अनुशंषा की।

7. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

8. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer

may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

9. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थनापत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

10. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में आराजी नं0 1095 का नवीन नक्शा एवं सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे में की गई तरमीम का गलत होना नहीं पाया गया। प्रार्थिया का कब्जे में आराजी नं0 1095 पर होना तथा तरमीम संबंधी दोनों नक्शों का मिलान करने से तरमीम गलत नहीं होने से प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा